भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2278
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन

2278. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नियमित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कब तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और इस पर उड़ानों के संचालन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार उड़ान योजना के अंतर्गत कुशीनगर विमानपत्तन को और अधिक शहरों से जोड़ने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अभी भी विमानपत्तन की सुविधा से वंचित है जिससे क्षेत्रीय विकास और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास बलिया जिले में विमानपत्तन या हवाई पट्टी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में भावी योजनाएं क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): कुशीनगर हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का एक प्रचालनरत हवाईअड्डा है, हालांकि, वर्तमान में हवाईअड्डे पर कोई अनुसूचित उड़ान परिचालित नहीं है। मार्च 1994 में एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम को निरस्त करने के साथ, भारतीय घरेलू विमानन को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया और विशिष्ट गंतव्यों के लिए हवाई सेवाओं का प्रावधान यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर एयरलाइनों द्वारा अनुसूचित किया जाता है।

एयरलाइनों का अंतरराष्ट्रीय परिचालन भारत और संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) द्वारा नियंत्रित होता है। एएसए के अनुसार, भारतीय नामित वाहक पारस्परिक रूप से सहमत क्षमता सीमा के अनुसार कुशीनगर सहित किसी भी बिंदु से विदेशी गंतव्यों तक परिचालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में किसी बिंदु से/तक परिचालन कर सकती है यदि उसे एएसए में पॉइंट ऑफ कॉल के रूप में नामित किया गया है। भारत में किसी भी स्थान से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करना पूरी तरह से अनुसूचित एयरलाइनों का एक वाणिज्यिक निर्णय है, जो यात्री मांग, स्लॉट उपलब्धता, मार्ग व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों पर आधारित है।

(ख): कुशीनगर हवाईपट्टी उड़ान योजना दस्तावेज़ में असेवित हवाईअड्डों की अस्थायी सूची में उपलब्ध है। यदि कोई एयरलाइन भावी बोली के दौर में कुशीनगर हवाईपट्टी से जुड़ने वाले मार्गों के लिए बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ग) से (ङ): भारत सरकार (जीओआई) ने एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है, जिसके अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए एक उपयुक्त स्थल की पहचान करनी होगी और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन कराना होगा और 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए जीएफए नीति के तहत 'साइट क्लीयरेंस' मांगने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
